

डिजास्टर कैश असिस्टेंस प्रोग्राम अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डिजास्टर कैश असिस्टेंस प्रोग्राम या DCP क्या है?

सामाजिक और स्वास्थ्य सेवा विभाग 17 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले डिजास्टर कैश असिस्टेंस प्रोग्राम को सक्रिय कर रहा है। यह प्रोग्राम कुछ वाशिंगटनवासियों को COVID-19 के कारण लगे राजकीय आपात काल के दौरान उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद के लिए अभिप्रेत है।

ऐसा क्यों हो रहा है?

COVID-19 की वैश्विक महामारी के चलते, गवर्नर इंस्ली ने वाशिंगटन राज्य के सभी काउंटी में राजकीय आपातकाल की घोषणा की है। इससे DSHS को डिजास्टर कैश असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसे परिवारों और लोगों को लाभ देने की सुविधा मिलेगी, जो सामान्य स्थिति में नकद लाभ के पात्र नहीं होते।

मैं आवेदन कैसे करूँ?

इस प्रोग्राम के लिए टेलीफ़ोन पर एक साक्षात्कार देना होता है। परिवार इस प्रकार आवेदन कर सकते हैं:

- ऑनलाइन WashingtonConnection.org पर आवेदन करें और फिर आवश्यक साक्षात्कार पूरी करने के लिए 877-501-2233 पर ग्राहक सेवा संपर्क केंद्र को कॉल करें।
- संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 877-501-2233 पर कॉल करें।
- कृपया ध्यान रखें कि ग्राहक सेवा संपर्क केंद्र पर बहुत से कॉल आ रहे हैं और हो सकता है कि आपको लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़े। कॉल करने का सबसे उपयुक्त समय दिन के 11 बजे के पहले है। पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक सबसे व्यस्त समय रहता है।

हम अपने सभी प्रोग्राम के लिए आपकी अर्हता का निर्धारण एक साक्षात्कार में कर सकते हैं।

कितनी बार मुझे यह सहायता मिल सकती है?

यह प्रोग्राम परिवारों के लिए राजकीय आपातकाल के दौरान 12-महीनों में सिर्फ एक महीने के लिए उपलब्ध है।

यह प्रोग्राम कितने समय तक उपलब्ध रहेगा?

यह एक अस्थायी प्रोग्राम है और आपातकाल के समाप्त होने के साथ, या उसके पहले ही बंद हो जाएगा।

क्या मुझे तब भी DCAP नकद लाभ मिल सकता है, अगर मेरे साथ बच्चे नहीं रहते हैं?

हाँ।



क्या मुझे DCAP और अन्य कैश प्रोग्राम का लाभ एक साथ मिल सकता है?

नहीं। DCAP ऐसे परिवारों के लिए एक-बारगी कैश प्रोग्राम है, जो अन्य DSHS कैश प्रोग्राम के लिए अर्हता नहीं रखते।

इस प्रोग्राम के लिए आय सीमा क्या है?

आवेदन के माह में अनुमानित कुल आय के लिए निवल आय सीमा (कटौतियों के बाद) आपके परिवार के आकार पर निर्भर करती है। नीचे दिया गया चार्ट देखें:

परिवार का आकार	कटौतियों के बाद की आय सीमा
1	\$363
2	\$459
3	\$569
4	\$670
5	\$772
6	\$877
7	\$1,013
8+	\$1,121

क्या इस प्रोग्राम के लिए कोई संसाधन सीमा है?

इस वर्तमान आपातकाल के दौरान, आपके पास उपलब्ध \$6,000 तक के संसाधन पर छूट है। वाहम मेंं \$10,000 की ड्िकटी तक पर छूट है।

मेरे साक्षात्कार के लिए मुझे कौन सी जानकारी चाहिए होगी?

साक्षात्कार के दौरान हम आपसे चर्चा करेंगे कि इस माह आपको कुल कितनी आय होने की संभावना है, आपके पास संसाधन कितना है और ऐसे कौन से खर्च हैं, जिसके लिए आपको सहायता की आवश्यकता है।

मुझे किस प्रकार के खर्चों के लिए सहायता मिल सकती है?

DCAP निम्नलिखित प्रकार की आवश्यकता के लिए होता है: आवास की लागत, सुविधाएँ, वस्त्न, छोटे मोटे चिकित्सकीय खर्च, परिवार के लिए जरूरी चीजें और काम के लिए आने जाने का खर्च। अगर आप मौजूदा आहार लाभों के लिए अर्हता नहीं रखते हैं तो DCAP आपको भोजन के लिए भी सहायता प्रदान कर सकता है।



अधिकतम DCAP लाभ राशि कितनी है?

लाभ की राशि आपके परिवार के आकार, आय और आवश्यकता पर निर्भर करती है। अधिकतम लाभ नीचे दिया गया है:

परिवार का आकार	अधिकतम लाभ राशि
1	\$363
2	\$459
3	\$569
4	\$670
5	\$772
6	\$877
7	\$1,013
8+	\$1,121

मुझे लाभ कैसे मिल सकता है?

अगर आप DCAP के लिए स्वीकृत हैं तो आपको आपका लाभ इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण, या EBT, कार्ड के जरिए निर्गत किया जाएगा। अगर आपके पास यह नहीं है तो हम आपको कार्ड देंगे। अगर आपका सामान्य प्रेषण पता न हो तो आपका कार्ड आपको पत्राचार के माध्यम से भेज दिया जाएगा।

क्या मुझे नागरिक होना आवश्यक है? अगर मेरे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं हो तो क्या होगा?

DCAP प्राप्त करने के लिए आपको अमेरिका का नागरिक होना या आपके पास कोई अप्रवासन स्थिति होना आवश्यक नहीं है। कोई भी DCAP भुगतान सार्वजनिक प्रभार परीक्षण से छूट प्राप्त है। DCAP प्राप्त करने के लिए आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर देना भी जरूरी नहीं है।

क्या मेरी अप्रवासन स्थिति की जानकारी फेडरल अप्रवर्जन प्राधिकरणों (यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज) से साझा की जाएगी?

जो केवल DCAP की अर्हता रखते हैं, उनके लिए DSHS, USCIS से अप्रवासन स्थिति की पृष्टि नहीं करेगा। जो लोग या परिवार अन्य नकद या भोजन सहायता कार्यक्रमों के लिए अर्हता रखते हैं, उनकी अप्रवासन स्थिति की जानकारी की DSHS से <u>SAVE</u> system के जरिए USCIS से अनुबंध के अंतर्गत पृष्टि की जाएगी।